न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई ए एस

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 148/2025

मदन लाल पुत्र श्री सरवन राम जाति नायक निवासी 44 जी जी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. औमप्रकाश पुत्र श्री रूपा राम जाति नायक निवासी 44 जी जी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1.	श्री रोबिन गुम्बर	प्रार्थी
2.	श्री संजय जनवेजा	अप्रार्थी –1
3.	पैरोकार राज	अप्रार्थी –2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.10.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके 30 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/40 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 6, 15, 16 व 25 में 1.011 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि है। प्रार्थी का पेशा खेती है तथा उक्त भूमि प्रार्थी स्वंय काश्त करता है। नकल जमाबन्दी संलग्न है । प्रार्थी का पता वही है, जो कि प्रार्थना–पत्र के शीर्शक में अंकित है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी चक 30 जी जी के इसी मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 व 22 में से दक्षिण दिशा में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर इसी मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 23, 24 व 25 की दक्षिण दिशा में प्रत्येक बीघा में घरू तौर पर छोड़े गए 16½ फीट चौड़े रास्ता से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है। उक्त मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 25 का रकबा स्वंय प्रार्थी व किला नम्बर 23 व 24 का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 औमप्रकाश के नाम से खातेदारी होने के कारण वह प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है। जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंचने [illegible] एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। [illegible] द्वारा प्रार्थी से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई [illegible] टालमटोल करता रहा, मगर अब दिनांक 10.06.2025 को अप्रार्थी से [illegible] स्वीकृत करवाने की मांग की तो उसने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से [illegible] इन्कार कर दिया गया है तथा प्रार्थी को धमकी है कि मैं इस रास्ता को बन्द करूंगा। यदि अप्रार्थी ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता को बन्द कर दिया तो प्रार्थी के रकबा में आने जाने का एकमात्र विकल्प समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी उक्त रास्ता को बन्द करने से व प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करने से निषिद्ध रहें। प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है, प्रार्थी को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आव यकता है। इसलिए प्रार्थी–उक्त रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसके रकबा में आने जाने के लिए स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 30 जी जी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 23, 24 व 25 प्रत्येक की दक्षिण दिशा में 16½ फीट यानि 0.025 है0 कुल 0.075 रकवा को बतौर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह सही है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी चक 30 जी जी के इसी मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 व 22 में से दक्षिण दिशा में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर इसी मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 23, 24 व 25 की दक्षिण दिशा में प्रत्येक बीघा में घरू तौर पर छोड़े गए 16½ फीट चौड़े रास्ता से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है। उक्त मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 25 का रकबा स्वंय प्रार्थी व किला नम्बर 23 व 24 का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 औमप्रकाश के नाम से खातेदारी होने के कारण वह प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है। जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंचने व कृषि औजार के परिवहन का एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 03 आंशिक स्वीकार है, प्रार्थी ने अपने अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण शहर आने से इन्कार किया था, यहां यह उल्लेखनिय है कि अब प्रार्थी व अप्रार्थी का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे, तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है, प्रार्थी को अप्रार्थी से रास्ता की एवज में मुआवजा राशि नगद प्राप्त हो चूकी है, इसलिए अप्रार्थी माननीय न्यायालय के माध्यम से कोई मुआवजा राशि प्राप्त नही करना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कि प्रार्थी को उसके रकबा में आने जाने के लिए स्वंय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 30 जी जी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 23, 24 व 25 प्रत्येक की दक्षिण दिशा में 16½ फीट यानि 0.025 है0 कुल 0.075 रकबा को बतौर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 को कोई आपत्ति [illegible] की एवज में मुआवजा राशि नगद प्राप्त हो चूकी है, इसलिए अप्रा[illegible]यायालय के माध्यम से कोई मुआवजा राशि प्राप्त नहीं [illegible]

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगं[illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत आपसी सहमति है। प्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 30 जीजी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 23, 24 व 25 प्रत्येक की दक्षिण दिशा में 16½ फीट यानि 0.025 है0 कुल 0.075 रकबा को बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रतिकर की राशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रतिकर देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner